

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 02 / परीक्षा / अनुसंधान सहायक / 2016-17

दिनांक : 29.06.2016

आयोग द्वारा मूल्यांकन संगठन विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 के अन्तर्गत अनुसंधान सहायक (Research Assistant) के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :- (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

Sr. No.	Name of Post	No. of Posts(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				S.B.C.				P.H. (Horizontal)			
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	H	LD/ CP	
1	अनुसंधान सहायक (Research Assistant)	29	11	3	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

## (1) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :

- (1) At least IIInd class postgraduate degree in Economics/Economics and Public Administration/Public Administration/Sociology/Mathematics/Commerce/Statistic, provided that a post-Graduate in Mathematics/Statistics should have had Economics or Sociology as one of the subject in B.A. and
- (2) A certificate (RS-CIT course conducted by Rajasthan Knowledge Corporation Limited) awarded by Vardhaman Mahaveer open University, Kota or any other certificate awarded by a competent authority declared equivalent to the above certificate by Department of Information Technology and Communication in Government of Rajasthan.

## (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

राजनग पे-बैण्ड | राजनग पे-बैण्ड (9300-34800) ग्रेड पे रु. 4200/-

आयु सीमा | दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

## आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन सामान्य/ पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	10 13 15

नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है—“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”

## अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष अधिकायु उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जिनमें सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणिति आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज़ इमर्जेन्सी कमीशाप्ड एवं शोर्ट सर्विस कमीशाप्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जायेंगे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पञ्चिक सेक्टर उपक्रमों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	रिजिस्टर्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रान्सफर हो गया है, के लिये 50 वर्ष होगी।

## नोट -

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) शासन से प्राप्त वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी उपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
- (3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार “जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।”

अनुसंधान सहायक के पदों को विभाग द्वारा वर्ष 2009 में विज्ञापित किया गया था, तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था/ अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

## अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। <b>स्पष्टीकरण-</b> उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रूप से लेना होगा। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	दिनांक 04-07-2016 से दिनांक 05-08-2016 तक।
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ई-मिट्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 03-08-2016 होगी एवं ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक 05-08-2016 होगी।</li> <li>2. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेबसाइट से ई-ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त ई-मिट्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जमा कराया जा सकता है।</li> <li>3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु सीधे ही ई-ग्रास की वेबसाइट पर नहीं जावें।</li> <li>4. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।</li> </ol>
आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 06-08-2016 से दिनांक 05-09-2016 तक।

**परीक्षा की स्कीम**

क्र.सं.	विषय	कुल अंक	अवधि
प्रश्न पत्र – प्रथम	सामान्य ज्ञान (राजस्थान के संदर्भ में)	180	2 घण्टे
प्रश्न पत्र – द्वितीय	<b>सांख्यिकी एवं आयोजना</b> सांख्यिकी आयोजना कम्प्यूटर	210 60 30	3 घण्टे

1. दोनों प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेगे।

2. दोनों प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक दिए जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक काटा जायेगा।

3. प्रश्न-पत्र प्रथम एवं द्वितीय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जायेगा।

4. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक 35 प्रतिशत लेकिन दोनों प्रश्न-पत्रों को मिलाकर 40 प्रतिशत उत्तीर्णक होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

**नोट :-** राजस्थान निश्कर्जन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 40 (i) में विहित प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को निम्नानुसार छूट देय है-

"5 percentage of qualifying or pass marks in individual paper and in aggregate marks, wherever prescribed in any examination."

**विषेष सूचना :-** 'यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर /करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग /विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।'

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

**(गिरिराज सिंह कुशवाहा)  
सचिव**

**विज्ञापन संख्या : 02/परीक्षा/अनुसंधान सहायक /2016-17/68**

**दिनांक : 29.06.2016**

**प्रतिलिपि:-** निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या - 02/परीक्षा/अनुसंधान सहायक /2016-17 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

**उप सचिव**